आदेश–पत्रक

## (देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–06/2015–16 रामसेवक यादव वनाम राज्य एवं अन्य

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 04.07.2017 | ***आदेश***<br>प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 06/2015–16 रामसेवक सिंह पे0 स्व0 जगन यादव, ग्राम–हरदिया, थाना–चौथम, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 27/अनु0 आ0, दिनांक 14.01.2009 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है।<br>दाखिल अपील में अपीलकर्त्ता द्वारा कहा गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 09 अनु0आ0, दिनांक 02.01.2009 एवं पत्रांक 22/आ0, दिनांक 09.01.2009 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि ग्राम पंचायत हरदिया वार्ड सं0–5 एवं 06 के लोगों को तीन–चार माह से न तो राशन दिया गया है और उपभोक्ता द्वारा कूपन के साथ सामग्री के लिए सम्पर्क किया जाता है तो उपभोक्ता को गाली गलौज किया जाता है और कहा जाता है कि जो करना है करो उनका कुछ नहीं होगा। उनका पहूँच उपर तक है। इस तथ्य की पुष्टि मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य सं0–6 ने भी किया है। साथ ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चौथम के यहाँ वितरित खाद्यान्न, किरासन तेल का कूपन जमा नहीं किया गया। माह अगस्त, 08 सितम्बर, 08 और अक्टूबर 08 का खाद्यान्न सभी कूपनधारियों को आपूर्ति नहीं किया गया है। साथ ही निर्धारित मात्रा से अधिक दर पर किरासन तेल और खाद्यान्न की आपूर्ति उपभोक्ताओं को करते है जो वितरण में अनियमितता को दर्शाता है। उक्त के आलोक में बिक्रेता द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि माह जून 08 से माह सितम्बर, 08 तक का खाद्यान्न का उठाव किया गया है और ससमय वितरण भी किया गया है। जो उपभोक्ता पैसा के अभाव या किसी कारणवश खाद्यान्न का उठाव नहीं किया है उसका खाद्यान्न स्टॉक में रखा हुआ है। संयोगवश कूपन जमा करने गये तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चौथम छुट्टी में थे। उन का यह भी कहना है कि उनके स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 27/अनु0आ0 दिनांक 14.01.2009 से उनका अनुज्ञप्ति सं0–90/2007 को रद्द कर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जन वितरण प्रणाली बिक्रेता का अनुज्ञप्ति रद्द करना नियम संगत नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अपना मन मस्तिस्क का उपयोग नहीं किया गया। उनके | |

द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापाक 27/अनु0आ0, दिनांक 14.01.2009 को निरस्त करते हुए आवंटन चालू करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 31.12.2008 को अनुमंडल जनता दरवार में श्री दिवाकर कुमार चौधरी एवं 68 अन्य व्यक्तियों द्वारा राशन कूपन की छाया प्रति के साथ आवेदन दिया गया था और आरोप लगाया गया कि ग्राम पंचायत हरदिया के वार्ड सं0–5 एवं 6 के लोगों को तीन–चार माह से न तो राशन दिया गया है और न ही किरासन तेल। उपभोक्ता द्वारा जब बिक्रेता से कुपन के साथ सामग्री के लिए सम्पर्क किया जाता है तो उपभोक्ता को गाली गलौज किया जाता है और कहा जाता है कि जो करना है करों उनका कुछ नहीं होगा। उनका पहूँच उपर तक है। इस तथ्य की पुष्टि मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य सं0–6 ने भी किया है।

साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चौथम ने अपने पत्रांक 06 दिनांक 06.01.2009 से प्रतिवेदित किया है कि दिनांक 06.01.2009 को जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री रामसेवक यादव पंचायत हरदिया के दूकान के निरीक्षण के क्रम में सम्पर्क किए गए 20 उपभोक्ताओं द्वारा लिखित रूप से व्यान दिया गया कि सभी कूपनधारियों को विक्रेता द्वारा माह अगस्त 08 से सितम्बर 08 और अक्टूबर 08 का खाद्यान्न आपूर्ति नहीं की गयी है। जॉच के समय विक्रेता द्वारा भुगतान सुदा कूपन भी नहीं दिखाया गया। इस संबंध में विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी और विक्रेता द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा कुछ उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की आपूति नहीं की गयी है ओर यह खाद्यान्न लगभग 02 माह का उनके दूकान में अवशेष है। दो माह का खाद्यान्न भंडारित रख कर उसका वितरण नहीं करना उनकी गलत मंशा का परिचायक है तथा कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही का घोतक है। उपर्युक्त अनियमितता के लिए जन वितरण प्रणाली विक्रेता राम सेवक यादव का अनुज्ञप्ति संख्या–90/2007 अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 27/अनु0आ0, दिनांक 14.01.2009 से रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि विक्रेता द्वारा माह जून 08 से माह अक्टूबर 08 तक खाद्यान्न का उठाव किया गया और ससमय वितरण भी किया गया। जो उपभोक्ता पैसा के अभाव में या किसी कारणवश खाद्यान्न का उठाव नहीं किया उसका खाद्यान्न स्टॉक में रखा हुआ है। विक्रेता द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित दर पर वितरण किया जाता है। 20 उपभोक्ताओं द्वारा

शिकायत किया गया है वह राजनीति से प्रेरित है। विक्रेता के स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया जो नियम संगत नहीं है तथा यह संधारण योग्य नहीं हैं उनके द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 21236/2013 रामसेवक प्रसाद यादव वनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2015 को पारित आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 27/अनु0आ0 दिनांक 14.01.2009 को रद्द करते हुए अपीलार्थी का आवंटन चालू करने का अनुरोध किया गया ।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है तथा इस अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 21236/2013 का अवलोकन किया। सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 21236/2013 राम सेवक प्रसाद यादव वनाम् राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 01.10.2015 को पारित आदेश में समाहर्त्ता, खगड़िया के यहाँ दाखिल अपील को निष्पादित करने का निदेश दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं विक्रेता की स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि बिक्रेता द्वारा दो माह का कुछ उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरित नहीं किया गया तथा जॉच के समय भुगतानशुदा कूपन भी नहीं दिखाया गया, जिससे उनकी बातों की सत्यता की जॉच की जा सके। स्पष्ट है कि विक्रेता के इस कृत्य के कारण उनके उपभोक्ताओं को खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ जिसके लिए वे दोषी है। इस प्रकार का कृत्य विक्रेता की गलत मंशा को दर्शाता है तथा कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही का घोतक है एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्तों का उल्लंघन है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया का आदेश ज्ञापांक 27/अनु0आ0, दिनांक 14.01.2009 को यथावत रखा जाता है।

**लेखापित एवं संशोधित।**

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1. | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02. | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3. |
|---|---|---|

डी0 बी0 नं0.....281........./विधि, दिनांक 29/8/2012

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।

29/8/2012